कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

(नजारत अनुभाग)

कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–4247/कम्प्यू./150/जी.एस.टी./को.नि./2018 दिनांकित 20.02.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपद न्यायालय, गोरखपुर के प्रयोगार्थ क्रय किये जाने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के देयकों के भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती करते हुए जी.एस.टी. को भुगतान जनपद न्यायालय, गोरखपुर द्वारा किया जाना है। जी.एस.टी. को भुगतान किये जाने से पूर्व जी.एस.टी. का पँजीकरण कराये जाने एवं जी.एस.टी. रिटर्न भरने हेतु Tax Cunsultant/C.A. की सेवा प्राप्त करने के लिए कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

अतः इच्छुक Tax Cunsultant/C.A. केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, गोरखपुर में दिनांक 21.08.2025 तक अपना कोटेशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक–

14.8.2025

(उमेश चंद्र पाण्डेय)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
अ.ज.न्या. (एस.सी./एस.टी. अधि.),
जनपद न्यायालय, गोरखपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित–

1– नाजिर, आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर।
2– नाजिर, सदर कलेक्ट्रेट, गोरखपुर।
3– नाजिर, तहसील सदर, गोरखपुर।
4– मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर।
5– मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, गोरखपुर।
6– जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर में समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7– सूचना पट्ट, जनपद न्यायालय, गोरखपुर पर चस्पा करने हेतु।
8– रेलवे जंक्शन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9– बस स्टेशन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10– सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, गोरखपुर को माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।